राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1519/2024

डॉ. राम अवतार मालव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, झालावाड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2024

आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री लोकेन्द्र, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नियमानुसार जनरल सर्जरी के स्थान पर न्यूरोसर्जरी के पद पर पदोन्नत किया जावे। विकल्प में आदेश दिनांक 28.09.2022 को किस सीमा तक संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी की पदोन्नति विशिष्टता जनरल सर्जरी दर्शायी गई है, उसके स्थान पर न्यूरोसर्जरी मानते हुये समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें एवं न्यूरोसर्जरी विभाग में ही कार्य करने दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आचार्य के पद पर झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड में कार्यरत है। अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता एमसीएच (न्यूरोसर्जरी) है, जोकि झालावाड मेडिकल कॉलेज में कार्यग्रहण करने से पहले की है और जो मेडिकल काउंसिल राजस्थान में भी दर्ज की गई है और उक्त योग्यता के आधार पर वर्ष 2014 में रजिस्टर्ड किया गया है। सहायक आचार्य के रिक्त पद भरने हेतु दिनांक 08.01.2015 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) नियमो के तहत अपीलार्थी सह आचार्य न्यूरोसर्जन के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्ण योग्य अधिकारी है। झालावाड मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी का पद आदेश दिनांक 06.07.2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया। डीन झालावाड मेडिकल कॉलेज द्वारा दिनांक 29.03.2019 से अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को पत्र लिखा गया। अपीलार्थी ने एक प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2019 को प्रत्यर्थी विभाग को दिया, जिसमें सह आचार्य एवं आचार्य न्यूरोसर्जन के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया और प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक झालावाड मेडिकल कॉलेज ने एक पत्र निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर को लिखते हुये झालावाड हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड में कार्यरत चिकित्सकों की पदोन्नति के प्रस्ताव भेजे गये, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी विभाग में कार्यरत है और सह आचार्य व आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु निवेदन किया है। अपीलार्थी न्यूरोसर्जरी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर दिनांक 08.01.2015 से कार्यरत है। अपीलार्थी को अनुचित रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी रोजगार नियम, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिश पर झालावाड मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विषयों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों का वर्ष 2022–23 के लिये रोजगार नियम, 2017 के नियम 25 के अंतर्गत पदोन्नति की गई। उक्त पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 18 पर दर्शाया गया और अपीलार्थी को जनरल सर्जरी के पद पर दिनांक 01.04.2019 से सह आचार्य पद पर पदोन्नत किया गया व दिनांक 01.04.2022 से सह आचार्य के पद से आचार्य जनरल सर्जरी के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी का विषय न्यूरोसर्जरी है और अपीलार्थी को

न्यूरोसर्जरी में नियमानुसार पदोन्नत किया जा सकता है और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा जो पदोन्नति दी गई है, उसमें आंशिक संशोधन करते हुये उसे जनरल सर्जरी के स्थान पर न्यूरोसर्जरी के पद पर एनएमसी के नियमानुसार पदोन्नत किया जाये। अपीलार्थी ने उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 6049/2022 प्रस्तुत की, जिसे अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2023 के द्वारा यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी के पद पर वर्ष 2015 से नियुक्त किया गया था एवं अनुभव के आधार पर अपीलार्थी एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी के पद पर पदोन्नति योग्य है और अपीलार्थी 15 दिवस में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा प्रत्यर्थी विभाग उसका निस्तारण करते हुये आख्यात्मक आदेश पारित करे, उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया, जो उचित नहीं है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नियमानुसार जनरल सर्जरी के स्थान पर न्यूरोसर्जरी के पद पर पदोन्नत किया जावे। विकल्प में आदेश दिनांक 28.09.2022 को किस सीमा तक संशोधित किया जावे कि अपीलार्थी की पदोन्नति विशिष्टता जनरल सर्जरी दर्शायी गई है, उसके स्थान पर न्यूरोसर्जरी मानते हुये समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावें एवं न्यूरोसर्जरी विभाग में ही कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी के पद पर वर्ष 2015 में नियुक्ति हुई थी और झालावाड मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग उस समय नहीं होने से सर्जरी विभाग में पदस्थापित किया गया और आज तक लगातार सर्जरी विभाग में कार्य कर रहा है। सर्जरी विभाग में ही उसकी पदोन्नति की गई है। झालावाड मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग सृजित कर सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी का पद आदेश दिनांक 06.07.2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे निमयों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर

पदोन्नति नहीं किये जा सकने का निर्णय लिया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आचार्य के पद पर झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड में कार्यरत है। अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता एमसीएच (न्यूरोसर्जरी) है, जोकि झालावाड मेडिकल कॉलेज में कार्यग्रहण करने से पहले की है। सहायक आचार्य के रिक्त पद भरने हेतु दिनांक 08.01.2015 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा नियम, 2017 के नियम 25 के अंतर्गत सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर जनरल सर्जरी में दिनांक 01.04.2019 से पदोन्नति दिये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 09.02.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी न्यूरोसर्जरी के पद पर की गई नियुक्ति संवर्ग में नहीं थी और विभाग ने न्यूरोसर्जरी के पद दिनांक 06.07.2018 को स्वीकृत हुये। परंतु यहां यह भी सही है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 08.01.2015 के द्वारा सहायक आचार्य के पद पर न्यूरोसर्जरी में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति न्यूरोसर्जरी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 06.07.2018 के द्वारा न्यूरोसर्जरी विभाग की स्वीकृति हुई थी, जिसमें सहायक आचार्य का पद भी स्वीकृत किया गया था। झालावाड मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा आगामी पदोन्नति हेतु प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य विभाग न्यूरोसर्जरी में ही पदस्थापित है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी जनरल सर्जरी विभाग का कार्मिक है। चूंकि योग्यतानुसार ही न्यूरोसर्जरी विभाग में उसका सहायक आचार्य के पद पर चयन हुआ। आदेश दिनांक 12.07.2023 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को न्यूरोसर्जरी विभाग में ही ओपीडी एवं ओटी का कार्य आवंटित किया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी न्यूरोसर्जरी विभाग में

कार्यरत नहीं है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा सह आचार्य से आचार्य के पद पर जनरल सर्जरी विभाग में पदोन्नत किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि आचार्य न्यूरोसर्जरी का पद रिक्त नहीं है, इसलिये अपीलार्थी को न्यूरोसर्जरी विभाग में आचार्य के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता। राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर के पार्ट V भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया के बिंदु संख्या 25 में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति के संबंध में बिंदु 2 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"**Promotion under the Assured Career Progression (ACP) Scheme** - (2) Promotion under ACP Scheme shall be granted irrespective of vacancy. The staff under General Wing shall be granted II & III ACP after completion of 20 & 30 years service respectively. On grant of II and III ACP equal to one annual increase shall be allowed for each ACP."*

इस प्रकार उक्त स्कीम के तहत अपीलार्थी को न्यूरोसर्जरी विभाग में आचार्य के पद पर उक्त लाभ प्राप्त करने का हकदार है। चूंकि उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी न्यूरोसर्जरी विभाग में ही सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है और उसकी नियुक्ति भी न्यूरोसर्जरी विभाग में ही सहायक आचार्य के पद पर की गई थी और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की आगामी पदोन्नति न्यूरोसर्जरी विभाग में ही किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि न्यूरोसर्जरी एवं जनरल सर्जरी दोनों अलग–अलग विभाग हैं और इस प्रकार विभाग परिवर्तित कर पदोन्नत किया जाना नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के नियम 1998 एवं संशोधित नियम 2017 में स्पष्ट है कि सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूरोसर्जरी विभाग में सहायक आचार्य के पद का 2 वर्ष का अनुभव तथा सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये सह आचार्य के पद का 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है और इस प्रकार अपीलार्थी आदेश दिनांक 06.01.2015 के द्वारा सहायक आचार्य के पद पर न्यूरोसर्जरी विभाग में नियुक्त हुआ था और अपीलार्थी की कुल 5 वर्ष की सेवायें आचार्य पद के लिये आवश्यक हैं। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 के लिये आचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। वह भी न्यूरोसर्जरी में न करते हुये जनरल सर्जरी में किया गया है, जो उक्त एसीपी

स्कीम के विरूद्ध है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिस विभाग में (न्यूरोसर्जरी) में हुई है, उसे उसी विभाग (न्यूरोसर्जरी) के अंतर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नत माना जावे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर परसोनल (भर्ती एवं अन्य शर्तें) रोजगार नियम, 2017 के नियम 23 तथा नियम 25 को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार निर्धारित अनुभव की गणना करते हुये उचित अवधि में ही पदोन्नति प्रदान की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य